संख्या–वे0आ0–2– 401 / दस–54(एम) / 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव / सचिव,
समस्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2010 द्वारा राजकीय विभागों के सचिवालय से इतर लिपिकीय सवंर्ग के सम्बन्ध में की गयी पूर्व संस्तुतियों पर पुनर्विचार करते हुए दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय विभागों के सचिवालय से इतर लिपिकीय सवंर्ग के सम्बन्ध में वेतन समिति के पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2010 के माध्यम से दी गयीं संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों, जो पत्र संख्या–वे0आ0–2–2053 / दस–54(एम) / 2008 टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 के माध्यम से आपको संसूचित किये गये थे, के कम में पुनर्विचार करते हुए समिति के पत्र दिनांक 08 दिसम्बर, 2010 के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :—

(1) लिपिकीय संवर्ग के प्रथम स्तर के पद कनिष्ठ लिपिक / टंकक के पदों का पदनाम पूर्व में दी गयी संस्तुति के कम में लिये गये निर्णय के अनुसार कनिष्ठ सहायक रखते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। उ0प्र0 सचिवालय के जूनियर ग्रेड क्लर्क पदधारकों को भी उक्तानुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जायें। कनिष्ठ सहायक पद हेतु निर्धारित न्यूनतम् अर्हता में सम्मिलित कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण पत्र के स्थान पर "कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण–पत्र" रखा जाये।

(2) संवर्ग के कार्यालय अधीक्षक तथा प्रशासनिक अधिकारी के पदों को संविलीन करते हुए प्रशासनिक अधिकारी पदनाम तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0

4200 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। भविष्य में इन पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदधारकों से पदोन्नति कर भरे जाने की व्यवस्था की जाय।

(3) लिपिकीय संवर्ग में पूर्व से विद्यमान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों का पदनाम यथावत् रखते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड रू0 9300—34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800 अनुमन्य कराते हुए भविष्य में इन पदों पर भर्ती 03 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदधारकों से पदोन्नति द्वारा किये जाने की व्यवस्था की जाय।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—वे0आ0—1—879/दस—25(एम)/88 टी0सी0 दिनांक 27 मार्च 1989 द्वारा 50 तृतीय श्रेणी के कार्मिक कार्यरत होने के आधार पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद सृजित किये जाने की पूर्व निर्धारित व्यवस्था के स्थान पर भविष्य में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों का सृजन विभागीय कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर कराया जाय।

(4) कलेक्ट्रेट, मण्डलायुक्त कार्यालय तथा प्रदेश के ऐसे विभाग जिनमें विभागाध्यक्ष वेतनमान रू0 22400—24500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमान रू0 67000—3 प्रतिशत वेतनवृद्धि की दर—79000) के स्तर के प्राविधानित हैं, वहॉ लिपिकीय संवर्ग में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड रू0 15600—39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पदनाम से पद रखा जाय। इस पद को 03 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अथवा 06 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदधारकों से पदोन्नति कर भरे जाने की व्यवस्था की जाय।

(5) उपर्युक्त के फलस्वरूप लिपिक संवर्ग का ढ़ॉचा निम्नानुसार हो जायेगा :—

कम सं0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन संरचना में		भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता/प्रकिया
		वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	
1	2	3	4	5
1	कनिष्ठ सहायक	रू0 5200—20200	2000	80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता—इण्टरमीडिएट के साथ—साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण पत्र अथवा "सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण—पत्र" तथा हिन्दी/ अंग्रेजी में कम से कम कमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण

				गति। 15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों। 05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों।
2	वरिष्ठ सहायक	रू0 5200–20200	2800	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा–05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।
3	प्रशासनिक अधिकारी	रू0 9300–34800	4200	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा–05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदों से।
4	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रू0 9300–34800	4800	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा–05 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदों से।
5	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	रू0 15600 – 39100	5400	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा–03 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अथवा 06 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदों से।

2— कृपया वित्त विभाग के पत्र दिनांक 08 सितम्बर, 2010 द्वारा संसूचित निर्णयों को उक्त निर्णयों के अनुसार संशोधित रुप में कार्यान्वित किये जाने हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–401 (1) / दस–54(एम) / 2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।